रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 221] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10, 1971/अग्रहायण 19, 1893

No. 221] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 10, 1971/AGRAHAYANA 19, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 10th December 1971

G.S.R. 1867.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Act, 1958 (27 of 1958), the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 141/66-Central Excises, dated the 17th September, 1966, namely:—

In the proviso to the said notification, for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—

"(e) it contains more than 0.75 per cent. by weight of any bituminous substance."

[No. 203/71-CE-F. No. 86/3/71-CX-3.]

P. R. KRISHNAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1971

सा० का० नि० 1867.—खनिज-उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद और सीमा शुल्क) अधिनियम, 1958 (1958 का 27) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 141/66–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 सितम्बर, 1966 में और आगे एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के परन्तुक में खण्ड (ख०) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख०) इस में कोई बिटुमनी पदार्थ वजन के 0.75 प्रतिशत से अधिक अन्तर्विष्ट है।"

[सं० 203/71–फा० सं० 86/3/71–सी० एक्स०-3]

पी० आर० कृष्णन्, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971